

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उपरो सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, मिशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद उ०प्र०।
2. प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जनपद उ०प्र०।

पत्रांक: शि०मि०शासनादेश/ 1329 /2010-11 दिनांक: 8/06/ 2010

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षामित्रों की नवीन नियुक्ति बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1429/79-5-2010 दिनांक 2 जून, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 1.4.2010 से लागू हो जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शिक्षामित्रों की नवीन नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बंद किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश की छयाप्रति संलग्न है।

कृपया उक्त से अवगत होते हुए शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उक्तवत्।


भवदीय,


8.06.10
(अशोक मांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

पृ०सं०:शासनादेश संशो०/ 1329 /2010-11 दिनांक: 2010
प्रतिलिपि:-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ०प्र०।


(अशोक मांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक